रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 1991/आश्विन 22, 1913
No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 1991/ASVINA 22, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1991

सा.का.नि. 627(अ).—जब कि महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की कार्य विधि) संशोधन नियमावली 1981 का प्रारूप भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन-पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) दिनांक 21-3-91 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा

122 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि समाप्त होने तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गये थे जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की संभावना है,

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 31-3-1991 को जन साधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और जबकि उपर्युक्त अवधि समाप्त होने से पहले कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) संशोधन नियम 1991 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम 1981 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात्:—

"8 अधिवेशन का स्थगन—किसी अधिवेशन का स्थगन—किसी अधिवेशन का सभापति उसे किसी पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा वह तारीख या तो अधिवेशन में ही घोषित की जाएगी और उस दशा में अधिवेशन में अनुपस्थित न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी या न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचित की जाएगी।"

[फा.सं. एच-11017/4/90-पी.जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: (1) मूल नियम सा.का.नि. 725(अ) तारीख 13-7-1981 को प्रकाशित किए गए थे।

(2) पहला संशोधन सा.का.नि. सं. 819(अ) तारीख 28-7-88 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1991

G.S.R. 627(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 was published, as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport GSR No. 170(E), dated 21|3|91 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days from the date on which copies of the said notification as published in the Gazette of India made available to the public;

And Whereas copies of the said notification were made available to the public on 21|3|1991;

And whereas no objections or suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 8 of the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 the following rule shall be substituted, namely :—

"8. Adjournment of meeting : The president of the meeting may adjourn it to a later date, which date shall either be announced at the meeting in which case intimation shall be sent to the Trustees absent at the meeting at least three days in advance or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting".

[File No. H-11017|4|90-PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

1. Principal Rules were published in GSR No. 725(E), dated 13-7-1981.
2. First Amendment vide GSR No. 819(E), dated 28|7|88.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991